तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4288/2003/जयपुर** **सरकार बनाम केदार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–
1– उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी।
2– श्री थानेश्वर शर्मा, अप्रार्थी।

––

आदेश

दिनांक :– 5–9–2019

यह रेफरेंस अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जयपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 31–07–2003 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, बस्सी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एकीकरण खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2014–15 ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी में ख0 नं 127 रकबा 11 बिस्वा, 132 रकबा 2 बिस्वा, 133 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 133/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 133/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 238/4 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 133/5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 133/6 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 204 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 133/7 रकबा 4 बिस्वा, 133/8 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा माफी मन्दिर श्री गंगाजी वाके देह धूला वाके बहतमाम पुजारी घीसा वल्द कालू कौम ब्राह्मण सा0 धूला की खातेदारी में दर्ज थी। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2021–24 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय घीस्या पुत्र बालू कौम ब्राह्मण के नाम कर दी गई। तत्पश्चात् भूमि खातेदार घीस्या वल्द बालू सा0धूला से नामान्तकरण सं0 26 से स्थानान्तरित होकर कल्याण वल्द जीवनराम व दामोदर वल्द कल्याण सहाय जांगिड़ ब्राह्मण व खातेदार कल्याण के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4288/2003/जयपुर** **सरकार बनाम केदार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सं0 127 से दामोदर पुत्र कल्याण, केदार पुत्र रामकिशोर, भौरी लाल पुत्र गोपाल, हनुमान पुत्र कल्याण, कैलाश पुत्र कल्याण जांगिड़ ब्रा0 नि0 धूला के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 में भूमि केदार, भौरीलाल, हनुमान, कैलाश व दामोदर के नाम दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तान्तरण हुआ है वह गलत है। अतः उक्त प्रविष्ठियों को विलोपित की जाकर वापस भूमि माफी मन्दिर श्री गंगाजी वाके देह धूला के नाम की जावें। मूर्ति सतत् नाबालिग है और उसकी भूमि को किसी भी प्रकार पुजारी अथवा दीगर व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज करने का अधिकार नहीं है। राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 प. 2(4)राज–4/90/37 दिनांक 31–12–1991 एवं समय–समय पर जारी परिपत्र एवं विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों अनुसार मन्दिर मूर्ति के साथ अन्य व्यक्ति का नाम राजस्व रेकार्ड में रखा जाना कानूनन गलत है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपने निर्णय दिनांक 31–07–2003 द्वारा रेफरेन्स अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस रेफरेन्स प्रकरण में सुनी।

योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत आराजी माफी मन्दिर श्री गिरधारी जी की खातेदारी में दर्ज थी जिसे बिना किसी आधार व आदेश के बाद में माफी मन्दिर के नाम से भूमि की खातेदारी हटाकर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी जो अवैद्य एवं अनुचित है। मन्दिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गये हैं तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारम्भ से ही शून्य है। अतः प्रश्नगत आराजी को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4288/2003/जयपुर** **सरकार बनाम केदार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुनः माफी मन्दिर श्री गंगाजी के नाम दर्ज की जावें।

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि प्रश्नगत आराजी के अप्रार्थीगण के पिता पुजारी की हैसियत से दर्ज है। भूमि खातेदार घीस्या वल्द बालू सा0धूला से नामान्तकरण सं0 26 से स्थानान्तरित होकर कल्याण वल्द जीवनराम व दामोदर वल्द कल्याण सहाय जांगिड़ ब्राह्मण व खातेदार कल्याण के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण सं0 127 से दामोदर पुत्र कल्याण, केदार पुत्र रामकिशोर, भौरीलाल पुत्र गोपाल, हनुमान पुत्र कल्याण, कैलाश पुत्र कल्याण जांगिड़ ब्रा0 नि0 धूला के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2054–57 में भूमि केदार, भौरीलाल, हनुमान, कैलाश व दामोदर के नाम दर्ज है। इस कारण उक्त मन्दिर का पुजारी है एवं मन्दिर गंगामाता जी विवादित भूमि का रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रश्नगत आराजी से प्रार्थी का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए रेफरेन्स खारिज किया जावें।

मैने विद्वान अभिभाषकगण के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

प्रश्नगत रेफरेंस में उपलब्ध एकीकरण खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2014–15 ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी में ख0 नं 127 रकबा 11 बिस्वा, 132 रकबा 2 बिस्वा, 133 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 133/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 133/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 238/4 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 133/5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 133/6 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 204 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 133/7 रकबा 4 बिस्वा, 133/8 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा माफी मन्दिर श्री गंगाजी वाके देह धूला वाके बहतमाम पुजारी घीसा वल्द कालू कौम ब्राह्मण सा0 धूला की खातेदारी में दर्ज थी। कालान्तर में जमाबन्दी सम्वत् 2021–24 बनाते समय माफी मन्दिर का नाम विलोपित कर दिया और खातेदारी माफी मन्दिर के बजाय घीस्या

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4288/2003/जयपुर** **सरकार बनाम केदार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पुत्र बालू कौम ब्राह्मण के नाम कर दी गई। तत्पश्चात् भूमि खातेदार घीस्या वल्द बालू सा0धूला से नामान्तकरण सं0 26 से स्थानान्तरित होकर कल्याण वल्द जीवनराम व दामोदर वल्द कल्याण सहाय जांगिड़ ब्राह्मण व खातेदार कल्याण के फौत होने पर जरिये विरासत नामान्तकरण सं0 127 से दामोदर पुत्र कल्याण, केदार पुत्र रामकिशोर, भौरीलाल पुत्र गोपाल, हनुमान पुत्र कल्याण, कैलाश पुत्र कल्याण जांगिड़ ब्रा0 निव0 धूला के नाम दर्ज होकर वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2054-57 में भूमि केदार, भौरीलाल, हनुमान, कैलाश व दामोदर के नाम दर्ज है। इस प्रकार भूमि का जो हस्तान्तरण हुआ है वह गलत है। अतः उक्त प्रविष्ठियों को विलोपित की जाकर वापस भूमि माफी मन्दिर श्री गंगाजी वाके देह धूला के नाम की जावें। मूर्ति सतत् नाबालिग है और उसकी भूमि को किसी भी प्रकार पुजारी अथवा दीगर व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज करने का अधिकार नहीं है। राजस्व विभाग के परिपत्र सं0 प.2(4)राज-4/90/37 दिनांक 31-12-1991 एवं समय-समय पर जारी परिपत्र एवं विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों अनुसार मन्दिर मूर्ति के साथ अन्य व्यक्ति का नाम राजस्व रेकार्ड में रखा जाना कानूनन गलत है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है और मूर्ति मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहदपीठ ने 2015(4) आर0 एल0 डब्ल्यू0 (राज0)पेज 2721 तारा व अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के समय कृषक के कालम में किसी काश्तकार का नाम दर्ज हो तो जमाबंदी में अभिलिखित कृषक को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेगें और यदि कृषक के कालम में खुदकाश्त दर्ज हो तो आराजी पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/4288/2003/जयपुर** **सरकार बनाम केदार व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आराजी मूर्ति मंदिर की मानी जावेगी और उस पर पुजारी अथवा काश्त करने वाले व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें, इसके अतिरिक्त यह भी अभिनिर्धारित किया है कि मूर्ति मंदिर की भूमि पर एडर्वस पजेशन के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें।

अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् राजस्व रिकार्ड से अप्रार्थी के खातेदारी के समस्त अंकन को हटाए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा रेफरेन्स में अंकित ग्राम किशनपुरा तहसील बस्सी में ख0 नं 127 रकबा 11 बिस्वा, 132 रकबा 2 बिस्वा, 133 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, 133/1 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, 133/2 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, 133/3 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, 238/4 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 133/5 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, 133/6 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 204 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 133/7 रकबा 4 बिस्वा, 133/8 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 11 रकबा 16 बीघा 11 बिस्वा को पुनः **'माफी मंदिर श्री गंगाजी वाके देह धूला'** के नाम राजस्व अभिलेख में अंकित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। आदेश की सूचना अधिवक्ता प्रार्थी को दी जावें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य